

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(ब)ग्रावि/नरेगा/मा.द./09-10
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक- 8 SEP 2009

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अनुसूची-2 के बिन्दु सं. 26 में प्रावधान है कि यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की नियोजन से उद्भूत दुर्घटना या उसके काम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उसे पच्चीस हजार रुपये की दर पर या ऐसी रकम का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा और यह रकम, यथास्थिति, मृत या निःशक्त व्यक्ति के विधिक दारिस्तों को संदत्त की जाएगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान की अधिसूचना 24 जुलाई, 2006 के बिन्दु सं. 24(3) के अनुसार पंजीकृत श्रमिक के कार्यस्थल पर दुर्घटना/ अन्य कारणों से मृत्यु, हमेशा के लिए विकलांग होने की स्थिति में मृतक के वैद्य उत्तराधिकारी अथवा विकलांग जैसा भी मामला हो, को अनुग्रह राशि के रूप में रु. 25000/- भुगतान किया जाना है।

इस संबंध में समय-समय पर कई जिलों द्वारा राज्य स्तर से भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जाता रहा है। जबकि अधिनियम के प्रावधानानुसार जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक स्तर पर ही इस संबंध में निर्णय लिया जाना है। यदि इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने स्तर पर अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने में असमर्थ है तो इस विभाग को प्रस्ताव के साथ पूर्ण प्रकरण मय निम्न दस्तावेजों के आवश्यक रूप से भिजवाएँ, जिससे राज्य स्तर पर निर्णय लिया जा सके:-

1. मृतक के संबंध में दर्ज कराई गई एफआईआर रिपोर्ट।
2. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
3. कार्यस्थल पर कार्यरत मेट की रिपोर्ट एवं बयान
4. अनुग्रह राशि के संबंध में आपकी टिप्पणी।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

7/9/09
परियोजना निदेशक, ईजीएस